उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ

पंजीकृत

संदर्भ संख्या H14350 सी–1 / एन0ओ0सी0–1287 / 2018 दिनांक 13/1/18

सेवा में,

मै0 डार हाउसिंग लि0,
ग्रुप हाउसिंग परियोजना "ATS Rhapsody"
प्लाट संख्या–जीएच–,12 / 1, सेक्टर–1,
ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्वनगर।

विषयः **पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से ग्रुप हाउसिंग परियोजना ''ट्राइडेन्ट इम्बैसी''के विस्तारीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि परियोजना को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन के साथ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत स्थापनार्थ सहमति (एन0ओ0सी0) स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा हैः–

(क) **स्थलः**– मै0 डार हाउसिंग लि0 द्वारा प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग परियोजना "ATS Rhapsody" प्लाट संख्या–जीएच–,12 / 1, सेक्टर–1, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्वनगर।

(ख) **उत्पादनः**– प्रस्तावित 23144.070 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल पर बिल्टअप एरिया 131485.533 वर्गमीटर बिल्टअप का निर्माण कार्य।

(ग) **मुख्य कच्चे मालः**– बिल्डिंग मैटेरियल।

(घ) **घरेलू उत्प्रवाह की मात्राः**– 248 कि0ली0 / दिन

(ड.) **प्रयुक्त ईंधनः**– 500 के0वी0ए0 क्षमता के 01 एवं 1010 केवीए क्षमता के 02 डी0जी0 सेट हेतु डीजल।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. परियोजना में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय मे प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. परियोजना इकाई में परीक्षण उत्पादन / संचालन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन / संचालन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन / संचालन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि परियोजना / उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत परियोजना / उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. परियोजना में परीक्षण उत्पादन / संचालन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।

कृ0पृ0उ0

5. प्लाट डेवलपमेन्ट कार्य में भूगर्भ जल का प्रयोग नहीं किया जाये। अथारिटी के एस0टी0पी0 के शुद्धिकृत सीवेज का प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
6. परियोजना द्वारा जनित 248 के0एल0डी0 उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 300 के0एल0डी0 क्षमता काएस0टी0पी0 स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शुद्धिकृत सीवेज को फ्लशिंग, कूलिंग, हरित पट्टिका की सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनों में अधिकाधिक रिसाइकिल किया जाये।
7. परियोजना से जनित वेस्ट ऑयल तथा ई–वेस्ट का निस्तारण परिसंकटमय अपशिष्ट नियमावली तथा ई–वेस्ट नियमावली के प्राविधानों के अनुसार किया जाये।
8. परियोजना निर्माण के दौरान डस्ट नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जाये तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/कार्यालय द्वारा जारी गाइड लाइन मेमोरण्डम 2010 का पालन किया जाना अनिवार्य है।
9. निर्माण गतिविधियों में लगे अस्थायी श्रमिकों के भेजन निर्माण हेतु एल0पी0जी0 की व्यवस्था की जाये तथा उनके सीवेज के निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की व्यवस्था की जाये।
10. प्रस्तावित परियोजना में 500 के0वी0ए0 क्षमता के 01 एवं 1010 केवीए क्षमता के 02 डी0जी0 सेट स्थापित किया जायेगा जिस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकास्टिक इनक्लोजर एवं बोर्ड मानको के अनुरूप चिमनी स्थापित किया जाये।
11. परियोजना द्वारा सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी0जी0 सेट स्थापित किया जायेगा तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित किया जाये।
12. सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एम0एस0डब्ल्यू0 रूल्स, 2016 के प्राविधानों के अनुसार किया जाये।
13. नगरीय ठोस अपशिष्ट को एकत्रित करके सेग्रीगेट किया जायेगा जिससे प्राप्त बायोडिग्रेडेबिल वेस्ट को आर्गेनिक वेस्ट कनवर्टर के माध्यम से बायो कम्पोस्ट तैयार किया जाये।
14. परियोजना द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित किया जाये तथा हरित पट्टिका का प्रस्ताव प्रेषित करें।
15. परियोजना द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
16. परियोजना का निर्माण अथारिटी द्वारा स्वीकृत न्क्शा के अनुसार ही किया जाये।
17. भू–स्वामित्व सम्बन्धी वाद विवाद होने तथा सरकारी भूमि पाये जाने की स्थिति में परियोजना स्वयं उत्तरदायी होगी तथा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दी जाये।
18. परियोजना द्वारा प्रस्तावानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।
19. भूमिगत जल के दोहन हेतु केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
20. परियोजना स्थल पर कन्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 के प्राविधानों के अनुसार परियोजना के निर्माण स्थल पर अनिवार्य रूप से डिस्प्ले बोर्ड (4'x6') पर प्रदर्शित किया जाये।
21. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित तथा समस्त पर्यावरण विधियों एवं सुसंगत नियमावलियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
22. Unit will put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building for effective and efficient control of dust emission generated during construction of the project.
23. Storage of any construction material particularly sand will not be done on any part of street and roads in the projects area. The construction material of any kind stored on site will be fully covered in all respect so that it does not disperse in the air in any form.
24. All the construction material & debris will be carried in trucks or vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debri or construction material does not get dispered in to the air or atmosphere in any form whatsoever.
25. The dust emission from the construction sites will be completely controlled and all precautions will be taken in that behalf.
26. The vehicles carrying construction debris or construction material of any kind will be cleaned before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
27. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction debris or construction material shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particle

.......3/–

28. All medical help, investigation and treatment will be provided to the workers involved in the construction of building and carrying of construction of building and carrying of construction debris or construction material related to dust emission.

29. The transportation of construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place will be carried out in accordance with rules.

30. Fixing of sprinklers and creation of green air barriers will be done to control fugitive dust emission and improve environment.

31. Compulsory use of wet jet in grinding and stone cutting will be practiced.

32. Wind breaking walls will be constructed around the construction site.

33. Green belt will be developed around the buildings as per Rules.

34. All approach roads & in campus roads should be sprinkled with water to suppress the dust emission.

35. परियोजना द्वारा रू0 10.00 लाख की बैंक गारन्टी बोर्ड के पक्ष में 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाये जिसमें कम संख्या–2 से 34 तक की शर्ते निहित हो अन्यथा की स्थिति में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

36. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता पॉच वर्ष या बैंक गारन्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम जो पूर्व हो, मान्य होगी।

37. बैंक गारन्टी की शर्तो का अनुपालन न करने की दशा में प्रेषित बैंक गारन्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त करा ली जायेगी एवं अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग/परियोजना द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 28.02.2018 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय

Tiwari

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0. एन0ओ0सी0 तद दिनांक

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)